उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2

संख्या-ऑडिट-2-12/दस-2023-607(8)/66

लखनऊ; दिनांक: 24 अगस्त, 2023

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
उ0प्र0 लखनऊ

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (अधिनियम संख्या-9 सन् 1932) की धारा-71 की उपधारा (1) में प्रावधानित व्यवस्था के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश भारतीय भागीदारी नियमावली, 1933 में किये गये पंचम संशोधन "उत्तर प्रदेश भारतीय भागीदारी (पंचम संशोधन) नियमावली, 2023" की प्रति संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम/द्वितीय)/आडिटप्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2) महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, प्रयागराज/लखनऊ।

(3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) प्रमुख सचिव, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

(5) प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा/परिषद, उत्तर प्रदेश।

(6) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

(7) मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(8) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(9) रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(10) निदेशक, कोषागार/पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(11) विशेष कार्याधिकारी (मीडिया) मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।

(12) निदेशक,सूचना विभाग, उ०प्र०, वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

24.8.2023

(पूर्ण देव उपाध्याय)

विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2

संख्या-ऑडिट-2-12/दस-2023-607(8)/66

लखनऊ; दिनांक: 24 अगस्त, 2023

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
उ0प्र0 लखनऊ

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (अधिनियम संख्या 9 सन् 1932) की धारा 71 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करती हैं उसका निम्नलिखित प्रारूप सन् 1932 के पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 71 की उपधारा (3) के अधीन अपेक्षानुसार समस्त व्यक्तियों की सूचना के लिए और उसके सम्बन्ध में आपत्तियों और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2- प्रस्तावित नियमावली के प्रारूप के सम्बन्ध में समस्त आपत्तियां और सुझाव अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग, विधान भवन, लखनऊ को सम्बोधित और लिखित रूप में दो प्रतियों में प्रेषित किये जाने चाहिये। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर जो दिनांक 31 अगस्त, 2023 से पूर्व प्राप्त होंगे, विचार किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश भारतीय भागीदारी (पंचम संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1.(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश भारतीय भागीदारी (पंचम संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

प्रपत्र 1 का संशोधन 2. उत्तर प्रदेश भारतीय भागीदारी नियमावली, 1933 में, नीचे दिये गये स्तम्भ-एक के नियम 16 से संलग्न विद्यमान प्रपत्र संख्या-एक के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया प्रपत्र संख्या-एक रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 **(वर्तमान फॉर्म-1)**	**स्तम्भ-दो** **(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र-एक)**
फॉर्म संख्या-1 भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 58 (1) के तहत पंजीकरण के लिए एक फर्म द्वारा	**प्रपत्र संख्या-एक** भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 58 (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु एक फर्म द्वारा

जमा किये जाने वाले आवश्यक विवरणों को दर्शाने वाला विवरण

फर्म का नाम	फर्म के व्यवसाय का प्रमुख स्थान	किसी अन्य स्थान के नाम जहां फर्म व्यवसाय करती है	दिनांक जब प्रत्येक भागीदार फर्म में शामिल हुए	साझेदारों का नाम सहित पूरा स्थायी पता	फर्म की अवधि	टिप्पणियां

टिप्पणी-

(1) कथन-पत्र पर समस्त भागीदार अथवा उनके द्वारा विशेष रूप से तदर्थ प्राधिकृत अभिकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(2) कथन-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला प्रत्येक व्यक्ति विहित रीति से उसका सत्यापन करेगा।

(3) अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों का अनुपालन किये बिना कोई फर्म अपने नाम में निम्नलिखित में से किसी भी शब्द का यथा "क्राउन", "एम्परर", "एम्प्रेस", "एम्पायर", "इम्पीरियल", "किंग", "क्वीन", "रायल", अथवा ऐसे शब्द का जिनसे सरकार स्वीकृति, अनुमोदन अथवा प्रतिश्रय अभिव्यक्त अथवा विवक्षित हों, प्रयोग नहीं करेगी।

(4) कोई फर्म एम्बलेम्स ऐंड नेम्स (प्रिवेंशन आफ इम्प्रापर यूज) ऐक्ट, 1950 (ऐक्ट संख्या 12,1950) की धारा 3 के उल्लंघन में किसी नाम अथवा संप्रतीक का प्रयोग नहीं करेगी।

जमा किये जाने वाले आवश्यक विवरणों को दर्शाने वाला विवरण

फर्म का नाम	फर्म के व्यवसाय का प्रमुख स्थान	किसी अन्य स्थान के नाम जहाँ फर्म व्यवसाय करती है	दिनांक जब प्रत्येक भागीदार फर्म में शामिल हुए	साझेदारों का नाम सहित पूरा स्थायी पता	फर्म की अवधि	टिप्पणियां

टिप्पणी-

(1) कथन-पत्र पर समस्त भागीदार अथवा उनके द्वारा विशेष रूप से इस निमित्त प्राधिकृत अभिकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(2) कथन-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला प्रत्येक व्यक्ति विहित रीति से उसका सत्यापन करेगा।

(3) कोई फर्म संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 (अधिनियम संख्या 12, सन् 1950) की धारा 3 के उल्लंघन में किसी नाम अथवा संप्रतीक का प्रयोग नहीं करेगी।

आज्ञा से,

(दीपक कुमार)

अपर मुख्य सचिव।

Uttar Pradesh Shasan
Vitt (Lekha Pariksha) Anubhag-2

The Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification no. Audit-2-12/Ten-2023-607(8)/66, dated August 24, 2023 for general information:

NOTIFICATION

No. Audit- 2-12/Ten-2023-607(8)/66
Lucknow; Dated: 24 August, 2023

The following draft rules which the Governor proposes to make in exercise of the powers under sub-section (1) of section 71 of the Indian Partnership Act, 1932 (Act no. 9 of 1932) as amended in its application to the State of Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) are hereby published as required under sub-section (3) of section 71 of the aforesaid Act of 1932 for the information of all concerned and with a view to invite objections and suggestions in respect thereof.

2- All objections and suggestions with respect to the proposed draft rules should be addressed and sent in writing in duplicate to the Additional Chief Secretary to Government, Uttar Pradesh in Finance (Audit) Section, Vidhan Bhawan, Lucknow. Only those objections and suggestions which are received on or before August 31, 2023 will be taken into consideration.

Uttar Pradesh Indian Partnership (Fifth Amendment) Rules, 2023

Short title and commencement

1.(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Indian Partnership (Fifth Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of Form-I

2. In the Uttar Pradesh Indian Partnership Rules, 1933 for the existing Form no. I appended to rule 16 as set out in Column-I below, the Form no. I as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
उ0प्र0 लखनऊ

COLUMN-I

(Existing Form-I)

FORM No. I

Statement showing the particulars required to be field by a firm for registration under section 58(1) of the Indian Partnership Act, 1932

Name of firm	Principal place of business of the firm	Names of any other places where the firm carries on business	Date when each partner joined the firm	Name in full permanent addresses of the partners	The duration of the firm	Remarks

Note-

(i) The statement shall be signed by all the partners or by their agents specially authorised in this behalf.

(ii) Each person signing the statement shall verify it in the manner prescribed.

(iii) A firm shall not contain any of the following words; viz. "Crown" "Emperor" "Empress" "Empire" "Imperial" "King" "Queen" "Royal" or words expressing or implying the sanction, approval, or patronage of Government without compliance with provisions contained in sub-section (3) of section 58 of the Act.

COLUMN-II

(Form-I as hereby substituted)

FORM No. I

Statement showing the particulars required to be field by a firm for registration under section 58(1) of the Indian Partnership Act, 1932

Name of firm	Principal place of business of the firm	Names of any other places where the firm carries on business	Date when each partner joined the firm	Name in full permanent addresses of the partners	The duration of the firm	Remarks

Note-

(i) The statement shall be signed by all the partners or by their agents specially authorized in this behalf.

(ii) Each person signing the statement shall verify it in the manner prescribed.

(iii) A firm shall not use any name or emblem in contravention of section 3 of the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 (Act no. 12 of 1950).

(iv) A firm shall not use any name or emblem in contravention of section 3 of the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 (Act no. XII of 1950).	

By order,

(Deepak Kumar)
Additional Chief Secretary.